

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क.52/अ-82/2014-15
ग्राम दनौट प.ह.नं. 32
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक.

विरुद्ध

- 1- रोजिनिना पि0 आनंद खलखो उरांव नि0 करोड़ीमल कालोनी
- 2- घसियानो वेवा कार्तिकराम विवेकानंद, राधा, राधिका, नाबा.नकुल, नाबा.रोहणी नाबा. रेवती, पा.मा.घसियानो वेवा कार्तिकराम जाति रावत
- 3- सुकदेव पिता झांखर जाति कंवर
- 4- अश्वनीकुमार पिता पद्मनलाल जाति संवस

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 08-10-2016)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/08/08/15 दनौट दिनांक 06.8.2015 के अनुसार ग्राम-दनौट प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. व तह-रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 4 कुल रकबा 0.782 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के, नि:शक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम दनौट के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिक्ता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)
193/1 क	0.198	193/5	0.099
193/2 क	0.099	182/2	0.386
योग- कुल ख.नं.4 कुल रकबा 0.782 हे.			

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

- छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग-1 पृ.क्र. 1527
- स्थानीय समाचार पत्र 1. हरिभूमि में दिनांक 15.10.2015
2. केलोप्रवाह में दिनांक 11.10.2015
- ग्राम- दनौट में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08.11.2015

(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् किसी भी हितबद्ध पक्षकार अथवा किसी अन्य के द्वारा कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप अधिनियम की धारा-15 (2) के तहत सुनवाई की आवश्यकता नहीं हुई।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोषणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

- छ.ग. राजपत्र में दिनांक 29.04.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 726,
- स्थानीय समाचार पत्र 1. रायगढ़ सन्देश में दिनांक 02.4.2016
2. दैनिकभास्कर में दिनांक 02.4.2016
- स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 29.4.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 05.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 13.6.2016 को आहूत किया गया। किन्तु किसी भी भू-स्वामी के द्वारा कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में आगे की कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्ति के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के साथ प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में प्रतिवेदन दि. 23/09/2016 एवं पंचनामा दिनांक 23/09/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो इस आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में भूमि का गाईड लाईन की दर देय मुआवजा अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015.16 की दर प्रति हेक्टेयर	औसत विक्री छांट दर प्रति हेक्टेयर	पुनर्वास नीति अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	781000/-	436521/-	800000/-
असिंचित टिकरा	781000/-	436521/-	800000/-

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(क) भूमि का मुआवजा -

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाइड लाइन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	मुआवजा राशि विकी छंट दर अनुसार	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	खार असिं.	0.198	640202 /-	184962 /-	391406 /-	640202 /-
2	टिकरा असिं.	0.584	1888270 /-	545546 /-	1154451 /-	1888270 /-
	कुल	0.782	2528472 /-	730508 /-	1545857 /-	2528472 /-

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का मुआवजा -

निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा -

क्र.	कुल ख.नं.	कुल रकबा	वृक्षों की संख्या	देय मुआवजा राशि
1	4	0.782	83	223481 /-

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग)

रु.2751953 /-

(8) प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा गणना प्रपत्र तैयार कराया जा चुका है। पुनर्वास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुनर्वास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तदनुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरा नं.5 कुल रकबा 0.200 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रुपये 2751953/- (अक्षरांक सत्ताई लाख इक्यावन हजार नौ सौ तिरपन रुपये मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति का मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-4-03/सात-1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू-अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन चया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ-4-28/सात-1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाइड-लाइन वर्ष 2015-16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाइड-लाइन वर्ष 2015-16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

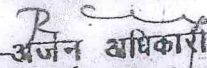
तदनुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व एवं
जिला रायगढ़ (छ.ग.))
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक 1832 भू-अर्जन/2016,
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक ०८-१०-2016

- 1- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
 2. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रु 2751953/-का भुगतान अवार्डधारियों को किये जाने हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
 3. महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू-स्वामियों को को उपलब्ध करावे। प्रकरण में समय-सीमा के भीतर पूनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
 5. तहसीलदार, रायगढ़,
 6. राजस्व निरीक्षक, रायगढ़,
 7. हल्का पटवारी क्रमांक 32, रा.नि.मं. रायगढ़
- को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।


भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
रा. जिला रायगढ़ (छ0ग0)